न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण कमांक 64 / 2012</u> संस्थन दिनांक 28.02.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्व

अनिल पिता लखन चौहान, आयु 24 वर्ष निवासी—दुधी नाका, खेतिया, हाल मुकाम धनोरा, तहसील अंजड़ जिला — बड़वानी म.प्र.

----अभियुक्त

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक 08.09.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 31/2012 अंतर्गत 354 323, 504 सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 28.02.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 06.02.2012 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्राम धनोरा में फरियादिया के घर के सामने फरियादिया जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आयश से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 354 भा.दंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 13.08.2015 को दिलीप तथा अभियुक्त अनिल, सुनिता एवं ललिता उर्फ लल्लु के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तों को धारा 504, 323 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादिया तिरंगाबाई के संबंध में अभियुक्त अनिल के विरुद्ध धारा 354 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3. 06.02.2012 की रात्रि को फरियादिया के घर के सामने अभियुक्त अनिल फरियादिया को पुरानी बात को लेकर गाली-गलोच दे रहा था। फरियादिया द्वारा अभियुक्त को गालिया देने से मना किया तो अभियुक्त अनिल ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़कर उसे रखने हेतू चलने को कहा तथा जबरजस्ती करने लगा व उसकी छाती दबाई। फरियादिया द्वारा चिल्लाने पर फरियादिया का पति दिलीप ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त अनिल ने लकड़ी दिलीप को मारी जो सिर में लगी, इतने में अभियुक्त अनिल की सास स्निताबाई एवं अनिल की पत्नी लल्लु उर्फ ललिता आई व उन्होंने भी दिली को लकड़ी से मारपीट की जो दिलीप के बायीं ऑख के पास तथा पैरों में लगी तथा फरियादिया के साथ भी अभियुक्त अनिल ने मारपीट की जिससे फरियादिया के बायें हाथ व बायें पैर में चोंटें आई। घटना में बीच-बचाव फरियादिया की बहन रमिला तथा आसपास के व्यक्तियों ने किया। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 31/2012 अंतर्गत धारा 354, 323 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 354, 323, 504 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त अनिल के विरूद्व धारा 354, 504, 323 भा.द.सं. एवं अभियुक्त सुनिता एवं लिलता के विरूद्ध धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.02.2012 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्राम धनोरा में फरियादिया के घर के सामने फरियादिया जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आयश से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.2) एवं सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

- 7. उक्त विचारणाय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि उसे रात्रि 8:00 बजे अभियुक्त पुरानी बात को लेकर गालिया दे रहा था, उसने अभियुक्त को गालियाँ देने से मना किया तब इतने में उसका पित आगया और अभियुक्त ने उसके पित के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर लेखबद्ध कराई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिस पर उसने अंगुठा लगाया था। साक्षी को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पढ़ाकर सुनाने पर साक्षी का कथन है कि अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने का कथन नहीं लिखाया था। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 2 के कथन में अभियुक्त अनिल द्वारा उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ने एवं सीना दबाने की बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा होने से वह असत्य कथन कर रही है।
- 8. दुलीचंद पाटीदार असा 2 ने दिनांक 06.02.2012 को थाना अंजड़ में फरियादिया द्वारा थाना अंजड़ में अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाने एवं उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि फरियादी ने उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में ए से ए भाग लिखाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने की बात नहीं लिखाई थी अथवा फरियादिया ने अभियुक्त द्वारा केवल मारपीट करने की बात लिखाई थी।
- 9. सहायक उपनिरीक्षक श्यामलाल यादव असा 3 का कथन है कि उसने दिनांक 08.02.2012 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 31/12 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 3 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाने एवं फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त अनिल के पेश करने पर एक बांस की लकड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादिया ने अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने एवं छाती दबाने की बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि तिरंगाबाई ने उसे प्रदर्शपी 2 का कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया की धात बताई थी।

- 10. ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण की फरियादिया ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है तथा राजीनामा हो जाने से अभियोजन ने अन्य किसी साक्षियों के कथन नहीं कराये हैं तथा उसने एवं अभियोजन के परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्त अनिल के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 354 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।
- 11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अनिल के विरूद्ध निर्णय के चरण कमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 354 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की 3 लकड़ियाँ मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड. जिला बडवानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी